

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 3381/15 21-80-80

18/08/15

मनोज पंडित बनाम जागेश्वर मंडल

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

स्थानीय पुलिस सरिया थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खाता नं० 66 खेसरा नं० 3344-खं-3346, पर शांति-विवाह।

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 28/08/2015 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

पॉला - बडकी सरिया, थाना - सरिया, जिला - गिरिडीह

- ① खाता नं० 66, खेसरा नं० 3344, पॉहड़ी - उ०-महेन्द्रवार्मा, द०-नीज, पू०-नीज प० - कुबाल कसी
- ② खाता नं० 66, खेसरा नं० 3346, पॉहड़ी - उ०-नीज, द०-नीज, पू०-नीज, प०-नीज हेरवापित

18/08/15
अनु० दंडा०

18/08/15
अनु० दंडा०
बगौदर - सरिया

बगौदर - सरिया
28-08-15 अमिलौरव उपस्थापित।
उभय पक्ष अनुपस्थित।
अमिलौरव दिनांक 09-09-15 को रखें।

18/08/15
अनु० दंडा०

09-09-15 उन्नय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 18-09-15 की रखें।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

18-09-15 उन्नय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 30-09-15 की रखें।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

30-09-15 उन्नय पक्ष अनुपस्थित।

पीठासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख दिनांक 07-10-15 की रखें।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

07-10-15 उन्नय पक्ष अनुपस्थित।

पीठासीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त।

अभिलेख दिनांक 14-10-15 की रखें।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

14-10-15 उन्नय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 29-10-15 की रखें।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

09.12.15

वाद की प्रक्रिया की कालावधि समाप्त होने के कारण

वाद की कालावधि समाप्त हो जा रही है।

कादवाही समाप्त हो जा रही है।

अनु० दण्डा
बगौदर-सरिया

9.12.15

अनु० दण्डा

21-00-00